



भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला)
6, नया कटरा रोड , इलाहाबाद.211002

आरवीटीआईए/ ए-36016/का0 आ0/ 7605

दिनांक : 22.6.2021

कार्यालय आदेश

कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु एवं भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या संख्या DGT-A-42/55/2021-Estt दिनांक 21.6.2021 के अनुपालन में इस संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यालय/संस्थान में उपस्थिति हेतु निम्नवत रोस्टर बनाएं जा रहें हैं :-

प्रथम समूह : 22, 24, 28, एवं 30 जून 2021

द्वितीय समूह : 23, 25, एवं 29 जून 2021

(आउट सोर्सिंग के दौरान)

क्रम सं०	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद
	प्रथम समूह		द्वितीय समूह	
1	अजयपाल सिंह	सहा० निदेश० प्र०	कामिनी कश्यप	प्रशि० अधि०
2	नीरजा सूद	प्रशि० अधि०	ऋतु शुक्ला	प्रशि० अधि०
3	अनिल कुमार	प्रशि० अधि०	सचिन कुमार	प्रशि० अधि०
4	सारिका श्रीवास्तव	व्या० अनु०	श्री ई दिनेश कुमार	प्रशि० अधि०
5	वन्दना कुमारी	छा० वाडे०	बबीता	प्रशि० अधि०
6	राम रिशपाल सिंह	कर्म० परि०	रजनी सोनी	व्या० अनु०
7	अनिल कुमार,	एम.टी.एस.	मनोज कुमार	आशु०
8	नरेश कुमार	एम.टी.एस.	मधु	एम.टी.एस.
9	विवेक कुमार	आउट सोर्सिंग	प्रियंका त्रिपाठी	आउट सोर्सिंग

उपरोक्त कार्यालय आदेश दिनांक 21.6.2021 के पैरा 1(c) के अनुपालन में श्री के०एन० सिंह, हि० अनु० को उनको अवकाश से वापसी के पश्चात् उनको दिनांक 28.6.2021 से अगले आदेश तक कार्यालय में उपस्थिति से छूट दी जाती है। उक्त अवधि में वे घर से कार्य करते रहेंगे एवं मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर उपलब्ध रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में उपस्थिति होंगे।

जब एक समूह कार्यालय में उपस्थिति होगा तो दूसरा समूह घर से कार्य करेगा एवं मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक स्टाफ आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होगा। ऑन लाईन कक्षाएं प्रत्येक कार्यदिवस में चालू रहेंगी।

(हेमंत डी गौजर)
प्रचार्य
6, नया कटरा रोड
इलाहाबाद (उ०प्र०)

सेवा में :-

1. सभी स्टाफ को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु।
2. क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय, कानपुर
3. श्रीमती बबीता, प्रशि० अधि० - कृपया उपरोक्त कार्यालय आदेश के अनुपालन में कार्यशाला ब्लॉक एवं हमेशा स्पर्श वाली जगहों पर उचित साफ-सफाई तथा सनेटाईजेशन कराने की व्यवस्था करें।
4. कार्यालय प्रति